*हर वर्ष, जनवरी से लेकर मई के बीच, जब जापान की 'न्युकाबीरा' झील का जल-स्तर कम हो जाता है, तो एक पुल नजर आने लगता है बिल्कुल रोमन एक्वाडक्ट (पुल) जैसी यह जर्जर संरचना है, ''तौशूबेत्सु रिवर ब्रिज,'' इसे फैंटम ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि इसके गायब होने और नज़र आने का क्रम चलता रहता है। 'शिहोरो लाइन' रेल लाइन, जो अब बंद हो चुकी है, के एक भाग के रुप में तौशूबेत्सु नदी पर यह पुल 1939 में बनवाया गया था। यह एक अन्य ओटोफ्यूक नदी की छोटी सी सहायक नदी है। उत्तरी जापान की मूल 'ऐनू' भाषा में इस नाम का अर्थ है ''बर्च इन्फेस्टेड रिवर,'' अर्थात ऐसी नदी जिसमें भोज वृक्ष हों। सन् 1955 में, इस स्थान पर न्युकाबीरा बांध और एक बड़ा सरोवर बना था जिससे यह पूल डूब क्षेत्र में आ गया, इसलिए रेलवे लाइन को यहां से हटा दिया गया और तौशूबेत्सु पुल भी काम में आना बंद हो गया। अब मानव-निर्मित झील के बीच में खड़ा यह दुर्भाग्यशाली पुल वर्ष के अधिकांश समय पानी के अंदर डूबा रहता है। पानी के दबाव तथा बर्फ जमने और पिघलने के वार्षिक चक्र के कारण इसे बहुत क्षति पहुंचती है फिर भी इस पुल की मरम्मत के लिये कोई कोशिश नहीं की जाती। इसका एक बड़ा कारण है इसकी मुश्किल लोकेशन जहां पहुंचना आसान नहीं है, साथ ही संरक्षण के लिए ज्यादा मांग भी नहीं उठती है। सन् 2017 में कई मीडिया इकाइयों में पुल के टूटने की खबर आई थी लेकिन पुल अभी भी कायम है। परंतु इसका क्षरण जारी है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जल्दी ही टूट जाएगा।*

# नीट पी.जी. में ई.डब्ल्यु. एस. आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई होगी

## केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि, यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है तथा दूसरी तरफ डॉक्टर बार-बार आंदोलन एवं हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं

- **यह मामला मैडिकल पी.जी. की कक्षाओं में नामांकन से जुड़ा हुआ है। नामांकन के लिए होने वाली काउंसलिंग में ई.डब्ल्यु.एस. के आरक्षण के लिए वार्षिक आय मानदंड तय करने को लेकर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है।**
- **सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार के आरक्षण की आर्थिक सीमा तय करने के मानदंडों से संतुष्ट नहीं है।**

नई दिल्ली, 4 जनवरी (वार्ता)। केंद्र सरकार की ओर से लगातार दूसरे दिन गुहार के बाद उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-पी.जी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के काउंसलिंग मामले की बुधवार को सुनवाई के लिए राजी हो गई।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के विशेष उल्लेख के तहत शीघ्र सुनवाई की गुहार पर कहा कि इस मामले में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में कल इस पर विचार किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह पूरा सप्ताह विविध मामलों की सुनवाई के लिए रखा गया है, फिर भी नीट-पीजी मामले पर विचार किया जाएगा। मेहता ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आवश्यक मामला बताते हुए सुनवाई का अनुरोध किया था। सॉलिसिटर जनरल ने शीघ्र सुनवाई के लिए डॉक्टरों के आंदोलन का हवाला दिया था।

मेहता ने इससे पहले सोमवार को डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई किए जाने की गुहार लगाई थी, जहां मामले की सुनवाई की 6 जनवरी पहले से सूचीबद्ध है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की राय के बाद कोई फैसला लिया जाएगा।

सोमवार को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से नीट-पीजी (ई.डब्ल्यू.एस.) काउंसलिंग मामले की शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था।

यह मामला मैडिकल स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में नामांकन से जुड़ा हुआ है। नामांकन के लिए होने वाली काउंसलिंग में ई.डब्ल्यू.एस. के आरक्षण के लिए वार्षिक आय मानदंड तय करने को लेकर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने आरक्षण के लिए वार्षिक आय आठ लाख रुपए तक की सीमा तय की है। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से आठ लाख रुपए तय करने के तौर-तरीकों के बारे में जानकारी देने को कहा था लेकिन सरकार पिछली कई तारीखों के दौरान कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई। इसके बाद पीठ ने 25 अक्टूबर 2021 को नीट-पी.जी. काउंसलिंग प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा दी थी।

काउंसलिंग नहीं होने के कारण अभ्यार्थी (डॉक्टर) लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नामांकन के अभ्यार्थी डॉक्टरों ने पिछले दिनों हड़ताल और सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। इस वजह से ही राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई थी।

इस बीच, शीर्ष न्यायालय में हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने कहा है कि वह ई.डब्ल्यू.एस. के लिए मौजूदा वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपये ही रखेगी।

केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह फैसला किया है। केंद्र सरकार ने तीन सदस्यों की एक कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हलफनामे में कहा है कि वह आठ लाख रुपए तक की सीमा पर कायम है। सरकार द्वारा 30 नवंबर को गठित इस कमेटी में अजय भूषण पांडे (पूर्व वित्त सचिव), वी.के. मल्होत्रा, (सदस्य सचिव, आई.सी.एस.एस. आर.) और केंद्र सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल थे।

# 'मुस्लिम छात्र स्कूलों में सूर्य नमस्कार ना करें'

## मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय के छात्रों से यह अपील की और कहा कि, इस्लाम उन्हें सूर्य नमस्कार करने की अनुमति नहीं देता है

- **मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सूर्य नमस्कार से जुड़े केंद्र सरकार के आदेश का विरोध किया है। बोर्ड ने कहा है कि, मुस्लिम छात्र-छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल होने से बचें क्योंकि सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है जबकि इस्लाम में इसके लिए अनुमति नहीं है।**

नई दिल्ली, 4 जनवरी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पर सरकार की आलोचना की है। बोर्ड का कहना है कि सूर्य नमस्कार सूर्य पूजा का एक रूप है और इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से महासचिव मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी ने बयान जारी किया है। जिसमें सूर्य नमस्कार का विरोध किया गया है। जारी किए गए एक पत्र में कहा गया है कि सूर्य नमस्कार मुस्लिम छात्र न करें। यह पूजा के अनुरूप है इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इस बयान के बाद राजनीति गरमा गई है। यू.पी. सरकार के मंत्री मोहसीन रजा ने कहा कि बोर्ड लगातार मुसलमानों का शोषण कर रहा है।

दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं एक से सात जनवरी तक छात्रों को सूर्य नमस्कार कराया जाए।

इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सूर्य नमस्कार से जुड़े केंद्र सरकार के आदेश का विरोध किया है। बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम छात्र-छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल होने से बचें क्योंकि सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है जबकि इस्लाम में इसके लिए अनुमति नहीं है।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुस्लिम बच्चों को सूर्य नमस्कार के कार्यक्रमों में भाग न लेने से संबंधित बयान की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसा बयान अलगाववाद और सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करने की मंशा से दिया गया है।

विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड मुस्लिम समाज को विकास की मुख्य धारा से काटकर अंधेरे युग की ओर ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जो सम्पूर्ण शरीर का विकास करता है लेकिन सूर्य नमस्कार के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से स्पष्ट हो जाता है कि वह अलगावाद के एजेंडे को आगे बढ़ाकर विनाश के रास्ते की ओर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इससे पहले भी तीन तलाक के मामले पर उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर महिलाओं के प्रति बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। जैन ने मुस्लिम समाज से अपील की की मुस्लिम लॉ बोर्ड की बातों में न आकर विकास की राह को चुने और उन्हें यह अहसास कराएं कि वह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

# दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हुई

## देश में फिर से डराने लगे करोना को आंकड़े, महाराष्ट्र में 18 हजार व बंगाल में 9 हजार से अधिक करोना के नये मामले सामने आये

- **इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक्टिव केस 66,308 तक पहुंच गए हैं।**

नई दिल्ली, 4 जनवरी (वार्ता)। दिल्ली सरकार ने लगातार बढ़ते करोना मामलों के मद्देनजर सप्ताहांत (वीकेंड) कर्फ्यू लागू करने का फ़ैसला किया है जिसके तहत अब शनिवार और रविवार को रात्रि कर्फ़्यू के अलावा दिन में में भी कर्फ़्यू रहेगा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डी.डी.एम.ए. की बैठक में वीकेंड कर्फ़्यू लगाने का फ़ैसला किया गया। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाक़ी सबके लिए कर्फ़्यू की पाबंदी होगी।

महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड मामलों में फिर वृद्धि देखी गई। राज्य में 18,466 नए करोना संक्रमण केस दर्ज किए गए। इसके अलावा 20 मौतों की भी सूचना है। प.बंगाल में करोना की खतरनाक स्थिति में पहुंचने की आशंका है। यहां मंगलवार को 9 हजार से अधिक मामले सामने आये। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस 66,308 तक पहुंच गए हैं। एक दिन पहले राज्य में 12,160 मामले और 11 मौतें दर्ज हुई थीं। जबकि अकेले मुंबई में मंगलवार को 10860 नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा दो मौतें दर्ज हुई। वहीं, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5481 नए कोरोना मामले दर्ज हुए।

दिल्ली में कोविड की वजह से दिन प्रति दिन सख्ती और प्रतिबंध बढ़ने का एक दौर सा शुरु हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन ने कहा कि मेट्रो और बस में पचास फ़ीसदी क्षमता से चलने के फ़ैसले के बाद देखने में आया कि बस स्टाप और मेट्रो स्टेशन के सुपर स्प्रेडर बनने की आशंका है इसलिए अब पूरी क्षमता से बस और मेट्रो को चलाने के निर्णय लिया गया है। बस और मेट्रो में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अब घर से काम करेंगे जबकि प्राइवेट दफ़्तरों को पचास फ़ीसदी क्षमता से खोलने का फ़ैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि घबराने की जरुरत नहीं है और बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। करोना के नियमों का सख़्ती से पालन करें और मास्क लगायें।

## हाईकोर्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं-हाईकोर्ट प्रशासन ने 75 फीसदी कर्मचारियों को रोटेशन के हिसाब से कोर्ट में आकर काम करने को कहा है। वहीं इस दौरान घर से काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी। अधिवक्ता ऐप के जरिए अपने केसों में बहस कर सकेंगे। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ऐप के लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट प्रशासन ने एसओपी भी जारी की है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में 28 जून 2021 से मामलों की नियमित सुनवाई को वीसी व फिजिकल यानि हाइब्रिड तरीके से फिर से शुरू किया गया था। इससे पहले कोविड की दूसरी लहर के दौरान केसों की सुनवाई केवल वीसी के जरिए ही हो रही थी।

## क्या ओमक्रॉन का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस वायरस की शरीर रचना किस प्रकार से परिवर्तित हुई है।

कोलम्बिया युनिवर्सिटी के मैडिकल सैंटर की एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ जैसिका जस्टमैन ने कहा कि ''जब आप विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक ही दिशा इंगित करते हुए देखना शुरू करते हैं, तब आप इसको लेकर अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं कि स्थिति संभल गई है।''

उन्होंने कहा कि केसों की संख्या में जैसे ही उछाल आएगा, उनके साथ ही अस्पताल में भर्ती रोगियों और मौतों की संख्या भी बढ़ेगी, चाहे उनकी संख्या में इजाफा धीरे-धीरे ही क्यों ना हो।

सैनफ्रांसिस्को स्थित युनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया की गांधी ने कहा कि ओमक्रॉन के केस रिकॉर्ड संख्या में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि संक्रमण की उच्च दर और हल्के-फुल्के संक्रमण वाला ओमक्रॉन का मिश्रण इस वैश्विक महामारी की समाप्ति की शुरूआत का भी संकेत दे सकता है। उन्होंने पिछले हफ्ते हाँगकाँग में किए गए एक अध्ययन का उल्लेख किया, जिसमें बताया गया था कि पहले से वैक्सीन लगवाने के बावजूद ओमक्रॉन से संक्रमित हुए लोगों ने वायरस के अन्य वेरिएन्ट्स के प्रति भी जबर्दस्त रोग प्रतिरोधकता अर्जित की। उन्होंने बताया कि शायद इससे यह स्पष्ट हो कि साउथ अफ्रीका में केसों की संख्या इतनी जल्दी क्यों बढ़ी। उन्होंने कहा ''मुझे उम्मीद है कि यह वेरिएन्ट लोगों में जबर्दस्त रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करेगा और इस वैश्विक महामारी को समाप्त करेगा।''

# कश्मीर में चौथे दिन भी आतंकियों के साथ सैन्य मुठभेड़ हुई

## इस नवीन मुठभेड़ में लश्कर के दो और आतंकी मारे गये

- **गौरतलब है कि, सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ का क्रम शनिवार से शुरु हुआ था तब से अब तक लगभग 20 से अधिक आतंकी मारे जा चुके हैं।**
- **पुलिस महानिरीक्षक (कश्मीर रेंज) विजय कुमार के हवाले से पुलिस की ट्वीट में कहा गया, मृत आतंकवादी स्थानीय हैं और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा/द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे। वे दोनों कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे।**

श्रीनगर 4 जनवरी (वार्ता)। कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच लगातार चौथे दिन मुठभेड़ हुई। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट के दो स्थानीय आतंकवादी मारे गये।

गौरतलब है कि, कश्मीर में मुठभेड़ का सिलसिला गत शनिवार से लगातार जारी है जिसमें 20 से अधिक आतंकी मारे जा चुके हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर सेना , केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिस ने कुलगाम के ओकेय गांव में आज सुबह घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। इसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलायी। दोनों पक्षों के बीच चली मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गये।

पुलिस महानिरीक्षक (कश्मीर रेंज) विजय कुमार के हवाले से पुलिस की ट्वीट में कहा गया, मृत आतंकवादी स्थानीय हैं और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा/द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे। वे दोनों कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे।

# केजरीवाल करोना संक्रमित हुये

- **इस खबर ने पंजाब में हड़कम्प जैसी स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले पंजाब रैली की थी।**

नई दिल्ली, 4 जनवरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंगलवार को करोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस घटना से पंजाब में एक तरह से हड़कम्प की स्थिति बन गई है क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही पंजाब में रैलियां की थीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि, केजरीवाल ने पंजाब में सोमवार को रैली की थी उस दौरान उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को जानकारी दी कि वे भी करोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें बुखार और सर्दी जैसे लक्षण थे। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला करोना संक्रमित हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पिछले 24 घंटों के दौरान उनके संपर्क में आए लोगों से जांच कराने तथा जरूरी सावधानियां बरतने की अपील भी की है। साथ ही वे होम आइसोलेट हो गए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ''बीती रात हल्का बुखार और सर्दी जैसे लक्षण दिखने के बाद मैंने अपनी जांच कराई और करोना से संक्रमित होने का पता चला। मैं अपने संपर्क में आए लोगों से आग्रह करता हूं कि वे जरूरी सावधानियां बरतें।''

## धरना 13...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व्यापारियों के इस आन्दोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान आरएलपी के प्रदेश महामंत्री व पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में लोगों की बड़ी संख्या ने नगरपालिका प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए तहसीलदार सूर्यकान्त शर्मा को जिला कलैक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में पूर्व कसाना ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए लिखा है कि यदि स्थानीय नगरपालिका प्रशासन व विधायक द्वारा मास्टर प्लान के नाम पर अवैध रूप से प्रतिष्ठान व मकानों को तोड़ कर लोगों को सड़कों पर लाने का काम किया तो प्रशासन इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे।

ज्ञापन सौंपने के पश्चात धरना स्थल पहुंचे कसाना ने कहा कि वे व्यापारियों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार हैं। सत्ता के मद में जो तानाशाही कोटपूतली में की जा रही है, वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

## राज्यपाल व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तमिल सांसद डी. विजय कुमार ने कहा, ''पहले, चांसलर का पद अलंकरण युक्त पद माना जाता था, लेकिन अब खासतौर से गैर-भाजपा शासित राज्यों में, राज्यपाल और अधिक अधिकार अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं।''

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले माह एक विधेयक पारित करके उच्च तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री को प्रो. वाइस चांसलर नियुक्त करने का प्रावधान कर दिया है, इसके अलावा इस विधेयक में वी.सी. नियुक्ति प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किये गये हैं। नई प्रक्रियाओं के अनुसार चयन समिति वी.सी. पद के लिये राज्य सरकार के पास पाँच नाम भेजेगी, राज्य सरकार उनमें से दो नामों का चयन करेगी तथा उन्हें राज्यपाल को अग्रेषित करेगी। राज्यपाल से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे 30 दिन के अंदर उन दो उम्मीदवारों में से एक व्यक्ति का चयन करेंगे। इससे पहले चयन समिति अपनी सूची सीधे राज्यपाल के पास भेजा करती थी, राज्य सरकार के पास नहीं।

# 2020 में गलवान में जिस जगह झड़प हुई वहां भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया

## भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें भारतीय जवान तिरंगा झंडा फहराते नज़र आ रहे हैं

- **गौरतलब है कि, चीन के सरकारी मीडिया ने नव वर्ष के बाद एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि उसके सैनिकों ने गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराया है।**
- **भारतीय सेना ने चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि, चीन ने दुष्प्रचार के तहत यह वीडियो जारी किया है और यह वीडियो गलवान घाटी के बजाय चीन की सीमा के भीतर किसी और क्षेत्र का है।**
- **राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री की चुप्पी असामान्य है। हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारी सीमाएं ज्यादा सुरक्षा की हकदार हैं।**

नई दिल्ली, 4 जनवरी (वार्ता)। नव वर्ष के मौके पर भारतीय सैनिकों को उपहार देकर दिखावटी सद्भावना व्यक्त करने के बाद गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराये जाने का दुष्प्रचार करने वाले चीन को भारतीय सेना ने गलवान घाटी में तिरंगा फहराकर करारा जवाब दिया है।

रक्षा सूत्रों के अनुसार सेना ने पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में वर्ष 2020 में हुई हिंसक झडप की जगह तिरंगा फहराकर अपने दृढ इरादों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ने नव वर्ष के बाद एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि उसके सैनिकों ने गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराया है। इसके जवाब में जारी इन तस्वीरों में भारतीय सेना के जवान गलवान घाटी में तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं।

चीन द्वारा गलवान घाटी का वीडियो जारी किये जाने के बाद भारतीय विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की यह कहते हुए आलोचना की थी कि वह चीन के मामले में चुप्पी साधे हुए है।

रक्षा सूत्रों ने चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि चीन ने दुष्प्रचार के तहत यह वीडियो जारी किया है और यह वीडियो गलवान घाटी के बजाय चीन की सीमा के भीतर किसी और क्षेत्र का है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है और वह सीमा पर गतिविधियां बढ़ा रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हैं और उनका यह मौन हैरान करने वाला है।

कांग्रेस नेता ने मंगलवार को कहा कि चीन लगातार भारतीय सीमा के नजदीक गतिविधि बढ़ा रहा है। उसने पैंगोंग लेक पर पिछले दो महीने के दौरान पुल का निर्माण किया है और यह निर्माण कार्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) के बहुत नजदीक किया है।

उन्होंने कहा कि चीन जिस तरह से हमारे लिए चेतावनी बन रहा है उसका जवाब दिया जाना चाहिए लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री देश कि सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर आश्चर्यजनक चुप्पी साधे हुए हैं।

गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री की चुप्पी असामान्य है। हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारी सीमाएं ज्यादा सुरक्षा की हकदार हैं।

## कर्बला...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जनवरी को करबला कूच का ऐलान किया है। समाजसेवा दल के अध्यक्ष पप्पू कुरैशी ने बताया कि सरकार व प्रशासन को बार बार शिकायत भेजकर टूर्नामेंट दुसरी जगह करवाने व पिच हटाने की मांग की गई लेकिन प्रशासन महेश जोशी के दबाव मे कार्यवाही नहीं कर रहा है। अब मुस्लिम समाज 5 जनवरी को 11 बजे कर्बला में विरोध प्रदर्शन का पिच को हटाएगा।

वहीं मुस्लिम परिषद संस्थान के अध्यक्ष युनुस चौपदार ने चेतावनी देते हुए कहा कि महेश जोशी की हठधर्मिता के चलते अकीदत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जायेगा और लगभग 1 दर्जन संगठनों के साथ करबला मैदान में पिच पर धरना दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अमन का पैरोकार है और प्रशासन समाज की भावनाओं को समझते हुए वक्फ बोर्ड के आदेशों की पालना करवाये।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908